

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

28/10/22

उभय पक्ष उपस्थित पीलाखीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर है / परिरक्षित है।
मत: पत्रावली दिनांक 29.10.22 को देना हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

29/11

उभय पक्ष उपस्थित पीलाखीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर है / परिरक्षित है।
मत: पत्रावली दिनांक 27.12.22 को देना हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

27-12-22

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित, वकील प्रार्थी विपक्षी
सं. 1 व 2 के विकट कोर्ट कार्यवाही नली-चाहते हैं। विपक्षी सं.
उलगायत 7 के सम्मन प्राप्त होकर प्राप्त हुए जिसे शाह
पठ लिये गये। विपक्षीगण को दितनी मर्तना कुछ-कुछ करवावाये
मिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं। उनके विकट एकतरफा
कार्यवाही लिये जाने का अधेश दिया जाता है वकील प्रार्थी का
प्रापत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय सुपद से लिखा जाकर
शाह पठ दिया गया। पत्रावली फैसल कुमार होकर नम्बर से
कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

विपक्षी 1 व
2 के विकट
कोर्ट
कार्यवाही
नली-चाहते
हैं



नम्बर व लाल
अक्षरों में
हुए हुए की
में जारी है

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

अधिकारी- नारायण लाल जीनमर (आर०ए०एस०)

संख्या- 202/22 प्राथम

1 प्रेमसिंह 2/03 श्री पीशा सिंह रावत निवासी, भैरवगैडा तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

1 गोती सिंह 2/03 श्री बंशसिंह रावत निवासी, भैरवगैडा तहसील-माण्डल (कर्म) (सर्वेक्षण प्रमाण)

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स. अधि. 1956

दिनांक - 27-12-22


::आदेश::

11 ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स. अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम कैरिया पटवार हल्का कैरिया तहसील माण्डल में उसके संयुक्त खाते की आराजी नं. 1998/714 कुल कित्ता 01 रकबा 0.7588 स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये गेमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की झी के आदेश प्रदान कराये जावें।


प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20-03-22 को पंजीयत किया जाकर प्रकरण को न्यार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी कराने का शी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते त्रिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

11 प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.स. अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कैरिया पटवार कैरिया तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 1998/714 कित्ता 01 रकबा 0.7588 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी माने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख नं. 3-वितागरी को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने कराने की गीजूदगी में भीके व कब्जे की यथारिथति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

पि- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा